अध्याय–IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

4.1 उपभोक्ता को अनुचित लाभ एवं राजस्व की हानि

संविदा माँग को कम करने से सम्बन्धित टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ एवं कम्पनी को ₹ 1.19 करोड़ के राजस्व की हानि।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित (मार्च 2012) टैरिफ आदेश, 2012–13, जो 01 अप्रैल 2012 से प्रभावी है, की कंडिका 7.4 में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधानित है कि नवीन विद्युत सम्बन्ध एवं यदि विद्यमान विद्युत सम्बन्ध की भट्ठी को नई भट्ठी से बदला जाता है तो वैसी स्थिति में संविदा माँग निर्माता की तकनीकी/विशिष्टिकरण के अनुसार भट्ठी एवं उपकरण की कुल क्षमता पर आधारित होगा। इसके अलावा, विपत्रीकरण माँग माह के दौरान अधिकतम दर्ज की गई माँग अथवा संविदा माँग, दोनों में जो अधिकतम हो, पर आधारित होगा।

एक विद्यमान हाई टेंशन स्पेसिफाईड सर्विसेस (एच0टी0एस0एस0[1]) उपभोक्ता, ने (मे0 बालमुकुन्द कॉनकॉस्ट लिमिटेड), जिसका संविदा माँग 12141 के0भी0ए0 थी, अपने दो प्रतिस्थापित प्रेरक भट्ठियों के बदलाव एवं एक प्रेरक भट्ठी को बंद करने के उपरांत अपनी संविदा माँग को 8001 के0भी0ए0 तक घटाने हेतु आवेदन किया (नवम्बर 2011)। तद्नुसार, उल्लेखित उपभोक्ता के परिसरों का निरीक्षण (फरवरी 2012) तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (अब साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड) की निरीक्षण दल द्वारा किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार निर्माता की तकनीकी विशिष्टिकरण के अनुसार प्रेरक भट्ठी एवं रोलिंग मिलों का कुल सम्बद्ध भार 9714 के0भी0ए0 पाया गया।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया (फरवरी 2013) कि टैरिफ आदेश के उल्लंघन में 9714 के0भी0ए0 के विरुद्ध उपभोक्ता का भार 8400 के0भी0ए0 पर स्वीकृत (अगस्त 2012) किया गया एवं सितम्बर 2012 से 8400 के0भी0ए0 की कम भार पर विपत्र निर्गत किया जा रहा था। साथ ही यह भी प्रेक्षित किया गया कि टैरिफ आदेश एवं निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित किए गए संविदा माँग के उल्लंघन में घटा हुआ भार का निर्धारण निर्माता की तकनीकी विशिष्टिकरण के आधार के विरुद्ध ट्रान्सफर्मरों की प्रतिस्थापित क्षमता के आधार पर किया गया। इस प्रकार, टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने से न केवल 1314 के0भी0ए0 (9714 का कुल सम्बद्ध भार – 8400 के0भी0ए0 पर घटा हुआ स्वीकृत भार) से संविदा माँग कम स्वीकृत हुआ बल्कि यह उपभोक्ता को

[1] हाई टेंशन स्पेसिफाईड सर्विसेस (33 के0भी0/11 के0भी0) इस वर्गीकरण के अन्तर्गत वैसे उपभोक्ता होते हैं जिनके फेरो एलॉय भार सहित प्रेरक भट्ठी की संविदा माँग 300 के0भी0ए0 या अधिक होता है।

अनुचित लाभ एवं सितम्बर 2012 से सितम्बर 2013 की अवधि तक ₹ 1.19[2] करोड़ के राजस्व की हानि में परिणत हुआ।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित (मई 2013) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

4.2 उपभोक्ता वर्ग का परिवर्तन नहीं करने से राजस्व की हानि

उच्च विभव सेवाएँ (एच0टी0एस0)–I टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण नहीं करने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 36.89 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेशों[3] के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि गैर–घरेलू सेवाएँ (एन0डी0एस0) वर्ग हेतु निम्न विभव सेवा (एल0टी0एस0) टैरिफ, एल0टी0 उपभोक्ताओं जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 60 के0डब्ल्यू0 (मार्च 2012 तक) तथा 70 के0डब्ल्यू0 (अप्रैल 2012 से) है, को विद्युत आपूर्ति हेतु लागू है। 75 के0भी0ए0 या उससे अधिक वाले भार उच्च विभव सेवा (एच0टी0एस0)–I वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

निवर्त्तमान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अब साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की एक इकाई यथा विद्युत आपूर्ति मण्डल, दानापुर की अभिलेखों की संवीक्षा से यह दर्शित (फरवरी 2013) हुआ कि तीन उपभोक्ताओं[4] को 60 के0डब्ल्यू0 (67 के0भी0ए0)/70 के0डब्ल्यू0 (78 के0भी0ए0) से अधिक सम्बद्ध भार के विरुद्ध विद्युत आपूर्ति फरवरी 2010 से ही की जा रही थी लेकिन इन उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण एन0डी0एस0[5]–II टैरिफ के अंतर्गत उपभोग की गई इकाईयों के आधार पर किया जा रहा था।

चूँकि एन0डी0एस0– II टैरिफ 60 के0डब्ल्यू0/70 के0डब्ल्यू0 के भार तक ही लागू है, इन उपभोक्ताओं को 60 के0डब्ल्यू0/70 के0डब्ल्यू0 की अधिक भार पर विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश के उल्लंघन में था। चूँकि इन उपभोक्ताओं को अनुमत्य सीमा से अधिक विद्युत आपूर्ति की जानकारी कम्पनी को थी, तथापि उचित कदम उठाते हुए उपभोक्ता की श्रेणी को एन0डी0एस0– II से एच0टी0एस0 में परिवर्तित करने की जवाबदेही कम्पनी पर थी। साथ ही बकाए विद्युत देयताओं की स्थिति में, कम्पनी को सम्बद्ध उपभोक्ताओं को नियत तिथि तक बकाए विद्युत देयताओं के भुगतान हेतु सूचित करना

---

[2] 1314 के0भी0ए0×₹ 700 का टैरिफ दर×13 महीने।

[3] टैरिफ आदेश 2010–11 (दिसम्बर 2010 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी) एवं टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी)।

[4] मे0 रतनप्रिया (उपभोक्ता सं0–394292, सम्बद्ध भार–85 के0डब्ल्यू0 (94 के0भी0ए0)); श्रीमती मीना सिंह, रेडिएन्ट स्कूल (उपभोक्ता सं0–320875, सम्बद्ध भार–72 के0डब्ल्यू0 (80 के0भी0ए0); एवं प्रधानाध्यापक, डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल (उपभोक्ता सं0–297335, सम्बद्ध भार– 71 के0डब्ल्यू0 (79 के0भी0ए0)।

[5] गैर घरेलू सेवाएँ–II सिवाए उन उपभोक्ताओं के जो एन0डी0एस0–III के अन्तर्गत आते है, नगरीय क्षेत्र, जो अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ नगरपालिकाएँ/नगरपालिका निगमें/क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों/जिला एवं अनुमण्डलीय शहरों/अंचल मुख्यालयों/औद्योगिक क्षेत्रों/समीपस्थ उप नगरीय क्षेत्रों जो नगरीय/शहरी फीडरों से विद्युत शक्ति प्राप्त कर रहे हैं के अन्तर्गत आते हैं, में गैर–घरेलू उपभोक्ताओं जिनका सम्बद्ध भार 60 के0डब्ल्यू0 तक है, को विद्युत शक्ति की आपूर्ति हेतु लागू है।

चाहिए था और भुगतान में विफलता की स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत सम्बन्ध काट देना चाहिए था। तथापि, इन चूकों को रोकने हेतु कम्पनी में कोई भी आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति विद्यमान नहीं थी।

अतः उपभोक्ता श्रेणी को एन0डी0एस0– II से एच0टी0एस0– II श्रेणी में परिवर्तित करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप, कम दर पर विपत्रीकरण करने के कारण कम्पनी को फरवरी 2010 से जनवरी 2013 की अवधि हेतु ₹ 36.89[6] लाख के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित (मई 2013) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

4.3 ट्रान्सफॉर्मर ऑयल के क्रय में परिहार्य व्यय

स्थिर मूल्य वाली निविदा को रद्द करने एवं बिहार वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में परिवर्तनीय मूल्य के आधार पर पुनः निविदा आमंत्रण के फलस्वरूप ₹ 25.48 लाख का परिहार्य व्यय।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, निवर्तमान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) की पाँच विघटित इकाईयों में से एक, ने संकल्प द्वारा बिहार वित्तीय नियमों[7] (बी0एफ0आर0), 2005 के अनुसार भविष्य में आमंत्रित होने वाली निविदा हेतु अधिप्राप्ति प्रक्रिया अंगीकार (जुलाई 2008) किया।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2013) से यह प्रकट हुआ कि क्रयादेश की निर्गत तिथि से चार महीने की अवधि के अन्तर्गत आपूर्ति हेतु 1304 किलो लीटर (के0एल0) एकस्ट्रा हाई वोल्टेज (ई0एच0भी0) श्रेणी ट्रान्सफॉर्मर ऑयल हेतु बोर्ड ने निविदा आमंत्रित किया (जुलाई 2009)। निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) की नियमों एवं शर्तों के अनुसार निविदाकर्त्ताओं को स्थिर मूल्य उद्धृत करना था। एन0आई0टी0 के विरुद्ध, चार बोलियाँ प्राप्त हुई जिनमें दो बोलियाँ सर्शत थीं। अतः केवल दो निविदाकर्त्ताओं की वित्तीय बोलियों को खोला गया (सितम्बर 2009)। न्यूनतम उद्धृत स्थलीय दर[8] प्रति किलो लीटर ₹ 58128.31 था। तथापि, उर्पयुक्त दो बोलियाँ बोर्ड द्वारा रद्द (दिसम्बर 2009) इस आधार पर कर दी गई कि निविदा सूचना में स्थिर मूल्य शर्त शामिल करने के फलस्वरूप प्रतियोगात्मक बोलियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं। क्रयादेश की निर्गत तिथि से चार महीने के अन्तर्गत आपूर्ति हेतु, 1267 के0एल0[9] ई0एच0भी0 श्रेणी ट्रान्सफॉर्मर ऑयल के क्रय हेतु बोर्ड ने पुनः निविदा आमंत्रित (दिसम्बर 2009) किया। एन0आई0टी0 के अनुसार, मूल्य परिवर्त्तनीय आधार पर उद्धृत होना था जो उपर्युक्त बी0एफ0आर0 के विरुद्ध था। मे0 सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की न्यूनतम बोली स्वीकार करते हुए ₹ 52606.13 प्रति किलो लीटर (कुल मूल्य ₹ 736.34 लाख) जो कि आधार तिथि 01

[6] कुल राजस्व की हानि = मे0 रतनप्रिया (₹ 9.90 लाख) + श्रीमती मीना सिंह (₹ 13.23 लाख) + प्रधानाध्यापक, डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल (₹ 13.76 लाख) = ₹ 36.89 लाख।

[7] बिहार वित्तीय नियमों का नियम 30(viii) जो संविदाओं की सामान्य सिद्धांतों से सम्बन्धित अन्य बातों के साथ यह निर्दिष्ट करती है कि मूल्य परिवर्तन उपवाक्य केवल संविदाएँ में ही लगाया जा सकता है जहाँ सुपुर्दगी अवधि 18 महीनों से परे है तथा अल्प–कालीन संविदाओं में स्थिर एवं निश्चित मूल्य उपवाक्य लगाना चाहिए।

[8] स्थलीय दर से तात्पर्य कुल मूल्य है जिसमें केन्द्रीय बिक्री–कर, माल–ढुलाई, प्रवेश–कर इत्यादि शामिल हैं।

[9] निवर्त्तमान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आवश्यकता का पुनर्निधारण किया गया।

जनवरी 2010 की आई0ई0ई0एम0ए0[10] प्राईस वेरियेशन सर्कुलर के अनुसार परिवर्तनीय था, के दर से जुलाई 2010 तक 1267 के0एल0 ई0एच0भी0 ट्रान्सफॉर्मर ऑयल का मूल्य बढ़ गया जिसके कारण बोर्ड को ₹ 736.34 लाख जो कि बोर्ड द्वारा उस स्थिति में भुगतेय था यदि बोर्ड जुलाई 2009 में आमंत्रित पहली संविदा की ₹ 58,123.31 प्रति लीटर के स्थिर मूल्य को स्वीकार कर लेता, के विरुद्ध प्रति के0एल0 उच्चतर दरों पर 1266.749 के0एल0 ट्रान्सफॉर्मर ऑयल हेतु ₹ 761.82 लाख भुगतान करना पड़ा।

अतः स्थिर मूल्य पर उद्धरण वाली निविदा को रद्द करने एवं परिर्वतनीय मूल्य पर आधारित नई निविदा आमंत्रित करने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 25.48[11] लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

मामला कम्पनी/सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2009) किया गया, जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

4.4 ऊर्जा शक्ति के क्रय में अनियमितताएँ

क्रय किए गए ऊर्जा शक्ति के आहरण नहीं करने से तथा दैनिक अनुसूचन के बजाय मासिक अनुसूचन हेतु मामले का अनुसरण नहीं करने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 58.97 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

4.4.1 वर्ष 2008–09 से 2010–13 की अवधि में बिहार राज्य ऊर्जा शक्ति की कमी[12] से जूझ रहा था। इस ऊर्जा शक्ति की कमी से उबरने हेतु निवर्तमान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड {बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड[13] (कम्पनी)} ऊर्जा शक्ति के क्रय हेतु अनुबन्ध (पी0पी0ए0) करती है। ऊर्जा–शक्ति की क्रय हेतु अनुबन्ध समय–समय पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्गत विनियमों से अधिशासित होती है।

सी0ई0आर0सी0 (सम्बद्धता का प्रदान, अर्न्तराज्यीय संचरण में दीर्घकालीन व मध्यकालीन आरोहण तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2009 की उपवाक्य 19(2) के अनुसार, मध्य–कालीन अवधि के अन्तर्गत ऊर्जा–शक्ति की आपूर्ति हेतु आरम्भ तिथि, सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र (आर0एल0डी0सी0) को मध्यावधि खुला आरोहण प्रदान करने हेतु भार सम्प्रेषण आपूर्तिकर्त्ता द्वारा समर्पित किए गए आवेदन के महीने की अन्तिम तिथि से पाँच महीने से पूर्व नहीं होना चाहिए। आपूर्तिकर्त्ता को ऊर्जा–शक्ति की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध करने के उपरांत ही आर0एल0डी0सी0 को आवेदन समर्पित करना चाहिए।

बिहार में ऊर्जा–शक्ति की कमी को दूर करने हेतु, कम्पनी ने 450 मेगा वॉट (एम0डब्ल्यू0) ऊर्जा–शक्ति की अधिप्राप्ति हेतु, जिसकी आपूर्ति मध्यकालीन अवधि हेतु मार्च 2012 से दिसम्बर 2015 के बीच में होनी थी, एक निविदा आमंत्रित किया (अक्टूबर 2011)।

उर्पयुक्त निविदा पर निविदाकर्त्ताओं/अग्रदर्शी निविदाकर्त्ताओं के आग्रह पर, मार्च 2012 के बजाय अगस्त/सितम्बर 2012 में ऊर्जा–शक्ति आपूर्ति आरम्भ करने हेतु अनुसूचित सुपुर्दगी तिथि के स्थगन हेतु एक स्पष्टीकरण परामर्शदाता यथा बिहार पावर

[10] इंडियन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन।

[11] ₹ 761.82 लाख– ₹ 736.34 लाख।

[12] ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 18वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण के अनुसार, 2008–13 की अवधि में, बिहार में, ऊर्जा–शक्ति में कमी, 2008–09 में 4071.89 एम0यू0 से 2011–12 में 7620.15 एम0यू0 थी।

[13] बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विघटित पाँच भागों में से एक।

इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड[14] को उनके सुझावों हेतु अग्रसारित किया गया। परामर्शदाता ने सुझाव दिया (नवम्बर 2011) कि प्रतियोगात्मक बोली के लिए अधिकतम निविदाकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा–शक्ति आपूर्ति आरम्भ करने की तिथि को संशोधित कर अगस्त/सितम्बर 2012 तक कर देना चाहिए। परामर्शदाता ने यह भी सुझाव दिया कि कमी को पूर्ण करने हेतु कम्पनी अल्पकालीन अवधि के अंतर्गत मार्च 2012 से अगस्त 2012 की अवधि के दौरान ऊर्जा–शक्ति का क्रय कर सकती है। तथापि, परामर्शदाता का सुझाव इस आधार पर विचारयोग्य नहीं माना गया कि इन सुझावों के आगे बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

निविदा का अन्तिमीकरण न्यूनतम निविदाकर्ता यथा अदानी इन्टरप्राइसेस लिमिटेड (ए0ई0एल0) से किया गया एवं मध्यकालीन खुला आरोहन के अंतर्गत ₹ 4.41 प्रति यूनिट की संतुलित की गई दर[15] पर मार्च 2012 से दिसम्बर 2015 तक 200 एम0डब्ल्यू0[16] ऊर्जा–शक्ति की आपूर्ति हेतु ऊर्जा–शक्ति क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) फरवरी 2012 में हस्ताक्षरित किया गया एवं आपूर्तिकर्ता ने ऊर्जा–शक्ति की आपूर्ति मार्च 2012 से आरम्भ कर दिया।

इस दौरान उर्पयुक्त निविदा के अन्तिमीकरण से पूर्व कम्पनी ने एन0टी0पी0सी0 विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एन0वी0वी0एन0एल0) से किए गए मध्यकालीन अवधि हेतु ऊर्जा–शक्ति क्रय अनुबन्ध जो फरवरी 2012 को समाप्त होने जा रहा था, अगले छः महीने की अवधि मार्च 2012 से अगस्त 2012 हेतु विस्तार कर दिया।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि अनुबन्ध तिथि से मध्यावधि के अंतर्गत ऊर्जा–शक्ति आपूर्ति आरम्भ करने के लिए न्यूनतम पाँच महीनें के प्रावधान के ऊर्जा–शक्ति आपूर्ति आरम्भ का अगस्त 2012 तक स्थगन सम्बन्धी परामर्शदाता की अनुशंसा एवं एन0वी0वी0एन0एल0 से अल्पावधि ऊर्जा–शक्ति क्रय का विस्तार के बावजूद कम्पनी ने मार्च 2012 से ए0इ0एल0 से 200 एम0डब्ल्यू0 ऊर्जा–शक्ति क्रय हेतु निर्णय लिया जिसके फलस्वरूप ऊर्जा–शक्ति की उपलब्धता 200 एम0डब्ल्यू0 से बढ़ गया।

हमलोगों ने यह भी प्रेक्षित किया कि ₹ 4.25 प्रति यूनिट की औसत दर से मार्च 2012 से अगस्त 2012 की अवधि में ए0ई0एल0 से क्रय किए गए 633.17 मिलियन यूनिट्स (एम0यू0) ऊर्जा–शक्ति के विरुद्ध , कम्पनी ने उक्त अवधि में 587.79 एम0यू0 उपलब्ध ऊर्जा–शक्ति का आहरण नहीं किया एवं इसका विक्रय ₹ 3.25 प्रति यूनिट के औसत दर से अनुसूची विनिमय[17] के अंतर्गत कर दिया।

हमलोगों ने आँकड़ों[18] से प्रेक्षित किया कि उपलब्ध ऊर्जा–शक्ति के आहरण नहीं करने से ए0ई0एल0 से क्रय किए गए ऊर्जा–शक्ति से ₹ 1.00 प्रति यूनिट की हानि हो रही थी। इस प्रकार कम्पनी को मार्च 2012 से अगस्त 2012 की अवधि में ₹ 58.78 करोड़ (अर्थात 587.79 एम0यू0×₹ 1.00/यूनिट) की हानि वहन करनी पड़ी।

---

[14] तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं आई0एल0 एवं एफ0एस0 (एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) एवं बिहार सरकार का एक सरकारी उद्यम कम्पनी।

[15] निविदा प्रक्रिया में मूल्य अंतर हेतु तय किया दर जिसमें आधार मूल्य, वृद्धि दर, आपूर्ति अवधि इत्यादि मानकों को ध्यान में रखा गया है।

[16] 131.40 एम0यू0 के बराबर अर्थात् [(200 एम0डब्ल्यू0× 365 दिन× 24 घंटे× 0.9 फैक्टर)÷ 12].

[17] अनुसूची विनिमय (यू0आई0) का तात्पर्य अनुसूचित आवंटन की तुलना में ऊर्जा–शक्ति का अति अथवा अल्प आहरण है। ऊर्जा–शक्ति का अल्प आहरण यू0आई0 के अन्तर्गत विक्रय के रूप में परिभाषित किया गया है।

[18] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड की अर्न्तराजकीय अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई।

4.4.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा ऊर्जा–शक्ति का दैनिक अनुसूचन करने के कारण हानि

ऊर्जा–शक्ति की आपूर्त्ति हेतु आपूर्त्तिकर्ता को सम्बन्धित क्षेत्रीय भार सम्प्रेषण केन्द्र (आर0एल0डी0सी0) से द्विपक्षीय संव्यवहार का अग्रिम अनुसूचन[19] कराना होता है।

सी0ई0आर0सी0 खुला आरोहण[20] विनियम, 2008 के उपवाक्य 2.1 एवं अनुवर्ती (संशोधन) विनियम, 2009 के अनुसार द्विपक्षीय संव्यवहारों के अनुसूचन हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय भार सम्प्रेषण केन्द्र (आर0एल0डी0सी0) को ₹ पाँच हजार के आवेदन शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विनियमन की उपवाक्य 5.2 के अनुसार पूर्ण महीने के लिए अग्रिम अनुसूचन हेतु केवल एक ही आवेदन समर्पित किया जा सकता है। अतः विक्रयकर्ता सम्बन्धित आर0एल0डी0सी0 को मासिक अग्रिम अनुसूचन हेतु प्रतिमाह ₹ पाँच हजार का भुगतान कर आवेदन कर सकता था।

इसके अतिरिक्त ए0ई0एल0 से 200 एम0डब्ल्यू0 ऊर्जा–शक्ति की आपूर्ति हेतु आर0एल0डी0सी0 शुल्क (अनुसूचन हेतु आवेदन शुल्क सम्मिलित) का भुगतान अधिप्राप्तकर्ता अर्थात् कम्पनी की जिम्मेदारी होगी।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि विक्रयकर्ता ने पूर्वी आर0एल0डी0सी0 को ऊर्जा–शक्ति की मासिक अनुसूचन के बजाए दैनिक अनुसूचन हेतु आवेदन किया था जिसके फलस्वरूप मार्च 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान कुल 390 अनुसूचन हुआ जिसके लिए अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क के मद में ₹ 19.50 लाख की राशि (₹ पाँच हजार प्रति अनुसूचन के दर से) का भुगतान ए0ई0एल0 द्वारा पूर्वी आर0एल0डी0सी0 को किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति कम्पनी द्वारा ए0ई0एल0 को कर दी गई।

हमलोगों ने यह भी प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने पूर्वी आर0एल0डी0सी0 से ऊर्जा–शक्ति के दैनिक अनुसूचन के बजाए मासिक अनुसूचन मामलों को कभी नहीं उठाया। जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान कम्पनी पूर्वी आर0एल0डी0सी0 को ₹ 0.65 लाख के आवेदन शुल्क का भुगतान कर ऊर्जा–शक्ति की अग्रिम अनुसूचन हेतु आवेदन कर सकती थी।

अतः आपूर्तिकर्ता से ऊर्जा–शक्ति की दैनिक अनुसूचन के बजाए अनुसूचन सम्बन्धित मामलों के अनुसरण नहीं करने के फलस्वरूप कम्पनी को मार्च 2013 तक ₹ 18.85 लाख का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

---

[19] ऊर्जा–शक्ति का अनुसूचन सम्बन्धित आर0एल0डी0सी0 द्वारा संचरण प्रणाली में ऊर्जा–शक्ति की सम्प्रेषण हेतु ऊर्जा–शक्ति उत्पादकों को प्रदान की गई अनुमति है।

[20] संचरण प्रणाली में अथवा संचरण प्रणाली से ऊर्जा–शक्ति के सम्प्रषेण अथवा आहरण हेतु आरोहण स्त्रोत।

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

4.5 ब्याज की हानि

कम्पनी द्वारा विलम्ब से संविदा माँग की बढ़ोत्तरी एवं ऊर्जा–विपत्रों के निर्गमन में विलम्ब के फलस्वरूप ₹ 0.99 करोड़ के ब्याज की हानि।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश[21] 'अन्य बातों के साथ यह भी निर्दिष्ट करता है कि उच्च विभव (एच0टी0) उपभोक्ताओं की ट्रान्सफॉर्मर क्षमता उनकी संविदा माँग से 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त टैरिफ आदेश यह भी प्रावधान करता है कि यदि कोई उपभोक्ता अपनी संविदा माँग के अनुरूप क्षमता से अधिक क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग करते पाया जाता है तो यह मामला कदाचार के अर्न्तगत आएगा। साथ ही बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 की कंडिका 6.24 के अनुसार उच्च विभव उपभोक्ताओं के मामलों में किसी ट्रान्सफॉर्मर, स्वीचगियर अथवा अन्य विद्युत उपकरणों को प्रणाली से जोड़ने से पहले इनका अनुज्ञप्तिधारी [अर्थात् बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड[22]] द्वारा निरीक्षण एवं अनुमोदन हो जाना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन बिना कोई भी कनेक्शन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी उच्च विभव प्रतिष्ठापनों का अनुमोदन विद्युत निरीक्षक द्वारा होना चाहिए। साथ ही टैरिफ आदेशों के अनुसार, विपत्रीकरण (न्यूनतम ऊर्जा–शक्ति शुल्क मार्च 2012 तक एवं डिमाण्ड शुल्क) संविदा माँग के आधार पर होना था।

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की विद्युत आपूर्ति अंचल (ई0एस0सी0), मोतीहारी के एक उच्च विभव उपभोक्ता मे0 स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया (सेल); एस0पी0यू0[23] बेतिया जिसकी संविदा माँग एक मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम0भी0ए0) थी, के अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि:–

- उपभोक्ता 1.5 एम0भी0ए0 की स्वीकार्य क्षमता के विरुद्ध पाँच एम0भी0ए0 की क्षमता वाली ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग कर रहा था जिसको लेखापरीक्षा ने पहले ही इंगित (मार्च 2012) किया था;

- कम्पनी ने लेखापरीक्षा की पहल पर 27 महीनों के विलम्ब से 3.334[24] की बढ़ी हुई संविदा–माँग के आधार पर कथित उपभोक्ता को विपत्र निर्गत करना जनवरी 2013 से आरम्भ किया एवं मार्च 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु एक संशोधित समेकित विपत्र जुलाई 2013 में निर्गत किया।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि ट्रान्सफॉर्मर की पर्याप्तता के सम्बन्ध में अनुश्रवण एवं नियंत्रण तथा विपत्रीकरण त्रुटीपूर्ण था चूँकि लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 2012 में इंगित करने के बावजूद कम्पनी संविदा–माँग की ससमय बढ़ोत्तरी और तद्नुसार विपत्रीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त मार्च 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु संशोधित समेकित विपत्र निर्गत करने में छः महीने का समय लिया जिसके फलस्वरूप 27 महीनों का विलम्ब हुआ।

---

[21] टैरिफ आदेश 2010–11 (दिसम्बर 2010 से प्रभावी); टैरिफ आदेश 2011–12 (मई 2011 से प्रभावी); टैरिफ आदेश 2012–13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी); टैरिफ आदेश 2013–14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी)।

[22] कालांतर में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड।

[23] स्टील प्रोसेसिंग यूनिट।

[24] 5 एम0भी0ए0 $\times \frac{2}{3}$ = 3.334 एम0भी0ए0।

कम्पनी द्वारा उपभोक्ता की संविदा–माँग की विलम्ब से बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप मार्च 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु ₹ 4.73 करोड़ की राशि का विपत्रीकरण 27 महीनों के विलम्ब से जुलाई 2013 में हुआ। विलम्ब से विपत्रीकरण के फलस्वरूप कम्पनी ₹ 0.97[25] करोड़ के ब्याज की क्षति वहन कर चुकी थी।

कम्पनी ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2013) कि कथित उपभोक्ता को जनवरी 2013 से ही 3.334 एम0भी0ए0 के आधार पर विपत्र निर्गत किया जा रहा था एवं उपर्युक्त पहले की अवधि हेतु जून 2013 के विपत्र में ही कथित उपभोक्ता को भारित कर दिया गया था।

वास्तविकता यह है कि स्वीकार्य क्षमता से अधिक के ट्राँसफॉर्मर के स्थापन की जानकारी रखते हुए भी कम्पनी ने उपभोक्ता के ट्राँसफॉर्मर क्षमता के आधार पर संविदा माँग को बढ़ाने तथा उसके अनुरूप विपत्र निर्गत करने में विफल रहा। इस प्रकार कथित उपभोक्ता की संविदा माँग की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण एवं नियंत्रण तथा विलम्ब से विपत्रीकरण करने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 0.97 करोड़ के ब्याज की क्षति वहन करनी पड़ी।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

4.6 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान

लेखाओं में हानि प्रदर्शित होने एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं तथा प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ दो करोड़ का अनियमित अंशदान।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) के प्रबन्ध निदेशक ने निदेशक–मण्डल को मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ तीन करोड़ के अंशदान हेतु परिचालन द्वारा मार्च 2012 में संकल्प प्रस्तावित इस आधार पर किया कि इस प्रकार का अंशदान लाभ अर्जित करने वाली अन्य निगमों द्वारा भी किया जा रहा था। निदेशक मण्डल ने आम सभा में अंशधारियों द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ तीन करोड़ के अंशदान करने हेतु अनुमोदन किया। कम्पनी ने ₹ तीन करोड़ के अनुमोदित अंशदान के विरुद्ध मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ दो करोड़ की राशि का अंशदान जमा किया।

यहाँ पर यह चर्चा करना प्रासंगिक होगा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(ई) एक सार्वजनिक कम्पनी के निदेशक मण्डल के अधिकार को धर्मार्थ एवं अन्य कोष में दान देने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं हैं। कम्पनी ऐसी कोई भी राशि दान में दे सकता है जो किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार अथवा विगत तीन वर्षो के औसत लाभ या पाँच प्रतिशत, दोनों में से जो अधिक हो, से अधिक न हो। जहाँ भी अंशदान उपर्युक्त सीमा से अधिक है, वहाँ कम्पनी की आम सभा की पूर्वानुमति से ही ऐसा किया जाना चाहिए।

[25] ब्याज की हानि की गणना 13 प्रतिशत की दर अर्थात् राज्य सरकार द्वारा भारित ऋण दर के अनुसार की गई है।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि:–

- वर्ष 2011–12 के लेखों में ₹ 2.65 करोड़ की स्वीकार्य आय के विरुद्ध कम्पनी ने सेन्टेज एवं कन्टींजेंसी शुल्क[26] तथा अन्य आय के अधिप्रदर्शन के फलस्वरूप ₹ 8.25 करोड़ का आय दर्शाया। इसके अतिरिक्त मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के मद में ₹ 0.54 करोड़ के भुगतान को लेखों में नहीं लिया गया था। अतः लेखों में ₹ 2.70 करोड़ के प्रदर्शित लाभ के विरुद्ध, कम्पनी को वास्तव में ₹ 3.44[27] करोड़ की क्षति हुई थी। वर्ष 2011–12 के लेखों की लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा राजस्व की त्रुटिपूर्ण स्वीकरण पर टिप्पणी भी भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी।

- चूँकि कम्पनी के पास कोई आधिक्य/संचित राशि नहीं था, मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ दो करोड़ का किया हुआ अंशदान वास्तव में कम्पनी की पूँजी से किया गया था जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(ई) के उल्लंघन में था।

- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष में उपर्युक्त अंशदान औपबंधिक लेखाओं के आधार पर तथा बिना किसी आकस्मिक कारण हेतु किसी आग्रह के किया गया था।

अतः लेखाओं में राजस्व के त्रुटिपूर्ण स्वीकरण एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में कम्पनी ने ₹ दो करोड़ का अनियमित अंशदान किया।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित (जुलाई 2013) किया गया, जवाब प्रतीक्षित था।

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड

4.7 लेबर सेस के कटौती नहीं करने से अनुचित दायित्व का सृजन

संवेदकों के विपत्रों से लेबर सेस की अधिदेशात्मक कटौती नहीं करने के फलस्वरूप कम्पनी लेबर सेस के मद में ₹ 0.56 करोड़ एवं उस पर दण्ड ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी हुआ।

बिहार सरकार ने जैसा कि, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी सेस अधिनियम, 1996 (अधिनियम)[28] श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना[29] में विचारित है, असाधारण राजपत्रित अधिसूचना[30] के माध्यम से लेबर सेस लागू किया। अधिनियम नियोक्ता द्वारा निर्माण मद में किए व्यय का एक प्रतिशत के दर से सेस के कटौती हेतु निर्दिष्ट करता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार निर्माण कार्य में संलग्न सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कार्यकारी अभिकरणों के विपत्रों से निर्दिष्ट दर पर लेबर सेस की कटौती करते हुए इसे "भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी बोर्ड" (कल्याणकारी बोर्ड) में जमा

[26] शुल्क जो सरकार द्वारा कम्पनी को जमाकार्य के विरुद्ध प्राप्त होता है।

[27] अस्वीकार्य आय (₹ 5.60 करोड़)+मैट हेतु लेखाओं में प्रावधान (₹ 0.54 करोड़)– लेखाओं में प्रदर्शित लाभ (₹ 2.70 करोड़) = ₹ 3.44 करोड़।

[28] अधिनियम की धारा 2(अ) के अनुसार भवन एवं अन्य निर्माण कार्य का तात्पर्य भवनों, सड़कों, रेलवे, ऊर्जा–शक्ति की उत्पादन, संचरण एवं वितरण इत्यादि के मद में अथवा सम्बन्धित निर्माण, बदलाव, मरम्मती, संधारण अथवा विघटन से है, तथापि वैसे भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों, जिनपर कारखाना अधिनियम, 1948 की प्रावधानें लागू हैं, इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।

[29] केन्द्रीय राजपत्रित अधिसूचना सं0: एस0ओ0 2899 दिनांक 26 सितम्बर 1996।

[30] अधिसूचना सं0: 865 दिनांक 4 अप्रैल 2008।

करना है। अधिनियम की धारा 8 यह भी निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई नियोक्ता निर्दिष्ट समय में लेबर सेस के भुगतान में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता प्रत्येक माह एवं माह के अंश अवधि हेतु दो प्रतिशत के दर से लेबर सेस के वास्तविक भुगतान होने तक ब्याज भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ऊर्जा–शक्ति उत्पादन एवं जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं का निर्माण कार्य करती है। ऊर्जा–शक्ति परियोजनाओं का निर्माण कार्य बाहरी सन्निर्माण अभिकरणों (संवेदकों) द्वारा कराया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी संवेदकों के विपत्र से लेबर सेस की राशि की कटौती कर इसको बिहार सरकार की श्रम संसाधन विभाग में जमा करने के लिए उत्तरदायी था।

हमने प्रेक्षित किया (फरवरी 2013) कि कम्पनी अप्रैल 2008 से ही लेबर सेस के मद में अधिदेशात्मक कटौती नहीं कर रहा था। इसके फलस्वरूप ₹ 0.41[31] करोड़ की राशि, जिसको सम्बन्धित प्राधिकरणों के पास जमा करना था, संवेदकों के विपत्रों से नहीं काटा गया जिसके परिणास्वरूप कम्पनी ₹ 0.15 करोड़ के दाण्डिक–ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी हो गया। अतः इसके परिणामस्वरूप लेबर सेस के मद में एवं उस पर जून 2013 तक भारित ब्याज के मद में बिहार सरकार की श्रम संसाधन विभाग के प्रति ₹ 0.56 करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2013) कि चूँकि कम्पनी की परियोजनाएँ निर्माणोपरान्त कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत निबन्धित थीं, इसलिए बिहार सरकार की श्रम संसाधन विभाग द्वारा एक प्रतिशत की दर से भारित लेबर सेस कम्पनी पर लागू नहीं था।

कम्पनी का जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि केवल वही परिसरों एवं सम्बन्धित अहातों, जहाँ ऊर्जा–शक्ति के द्वारा या इसके बिना उत्पादन कार्य हो रहा है, कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत कारखाना के रूप में निबन्धित हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार की श्रम संसाधन विभाग ने भी स्पष्टीकरण दिया (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस के भुगतान हेतु उत्तरदायी था। अतः लेबर सेस को लागू करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 0.56 करोड़ की अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

कम्पनी को अनुचित दायित्व को टालने हेतु अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं के मद में संवेदकों के विपत्र से लेबर सेस की अधिदेशित कटौती करनी चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013); जवाब प्रतीक्षित था।

[31] 23 परियोजनाओं की कुल निर्माण लागत के मद में एक प्रतिशत की दर से ₹ 0.41 करोड़ की सेस राशि।

4.8 परिहार्य व्यय

डगमारा जल–विद्युत परियोजना से सम्बन्धित अर्न्तराष्ट्रीय मुद्दों के सत्यापन में विफलता एवं केन्द्रीय जल आयोग की मार्दर्शिका के उल्लंघन में डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कार्यादेश प्रदान करने के फलस्वरूप कम्पनी ने ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

केन्द्रीय जल आयोग (के0ज0आ0), जल संसाधन मंत्रालय (ज0सं0म0), भारत सरकार द्वारा निर्गत (जुलाई 2002) सिंचाई एवं बहुप्रयोजन परियोजनाओं की सुपुर्दगी, मूल्यांकन एवं अनुमति हेतु मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1 अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्दिष्ट करती है कि अर्न्तराज्यीय/अर्न्तराष्ट्रीय जटिलता सम्बन्धित बहुप्रयोजन परियोजनाओं के सन्दर्भ में डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु के0ज0आ0 की 'सैद्धान्तिक' अनुमति हेतु प्रयोज्य जाँच–सूची के साथ एक प्रारम्भिक व्यवहारिता प्रतिवेदन (पी0एफ0आर0) के0ज0आ0 को उपस्थापित करना होगा।

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने बिहार के सुपौल जिला में डगमारा गाँव के निकट कोशी नदी पर 126 मेगावॉट (एम0डब्ल्यू0) क्षमता वाली विद्युत शक्ति परियोजना के निर्माण हेतु एक पी0एफ0आर0 तैयार (अगस्त 2006) किया। प्रस्तावित डगमारा परियोजना नेपाल सीमा से अनुप्रवाही 22.5 किलोमीटर तक बाँध का निर्माण कार्य परिकल्पित किया जिसके फलस्वरूप इस परियोजना का सम्बन्ध अर्न्तराष्ट्रीय जटिलताओं (जैसा नेपाल की सीमा का जलमग्न होना, जल का बँटवारा इत्यादि) से था। पी0एफ0आर0 के आधार पर कम्पनी ने इस परियोजना हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु मे0 वॉटर एवं पावर कन्सलटेन्सी सर्विसेस लिमिटेड (वैपकोस) को ₹ 3.08 करोड़ तथा अनुमत्य करों की लागत पर कार्यादेश प्रदान किया (सितम्बर 2007)। कथित कार्यादेश के कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत आयोग (के0वि0आ0/के0ज0आ0/भारत का भूतल सर्वेक्षण) द्वारा कथित परियोजना के मूल्यांकन में सहायता करना एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प0 एवं व0मं0) एवं रक्षा मंत्रालय (र0मं0) से अनुमति प्राप्त करना शामिल था। वैपकोस ने डी0पी0आर0 सुपुर्दगी की नियत तिथि (सितम्बर 2008) से दो वर्षो के विलम्ब के उपरांत डी0पी0आर0 तैयार एवं उपस्थापित किया। डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कम्पनी ने वैपकोस को अप्रैल 2011 तक ₹ 3.48 करोड़ (कर सहित) की राशि का भुगतान किया।

हमने प्रेक्षित किया कि:–

- यद्यपि कथित परियोजना का सम्बन्ध अर्न्तराष्ट्रीय जटिलताओं से था कम्पनी ने के0ज0आ0 मार्गदर्शिका की उपर्युक्त कंडिका 2.1 के अनुसार डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए के0ज0आ0 की "सैद्धान्तिक अनुमति" प्राप्त करने हेतु के0ज0आ0 को प्रयोज्य जाँच–सूची के साथ पी0एफ0आर0 प्रस्तुत नहीं किया।
- नेपाल की सामाचार–पत्र में प्रकाशित (जुलाई 2007) नेपाल की सीमावर्ती इलाकों के जलमग्न होने के भय के समाचार के आधार पर काठमाण्डू में स्थित भारतीय दूतावास ने इस सन्दर्भ में पूर्णरूपेण सूचना उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार/कम्पनी को आग्रह किया। कम्पनी ने परियोजना से सम्बद्ध अर्न्तराष्ट्रीय मसलों का बिना सत्यापन किए काठमाण्डू स्थित भारतीय दूतावास को उसी तिथि यथा जुलाई 2007 को सूचित किया कि डगमारा परियोजना से भारत एवं नेपाल के इलाकों का जलमग्न होने एवं लोगों के विस्थापन हेतु कोई खतरा नहीं था।

- वैपकोस द्वारा समर्पित प्रारूप डी0पी0आर0 कम्पनी द्वारा अनुमोदन हेतु के0वि0आ0 को अग्रसारित (जुलाई 2010) किया। के0वि0आ0 ने सूचित किया (नवम्बर 2010) कि चूँकि डगमारा परियोजना एक बहुप्रयोजन परियोजना था, अतः इसका अनुमोदन सबसे पहले ज0सं0म0 भारत सरकार की तकनीकी परामर्शी समिति (टी0ए0सी0) द्वारा हो जाने के उपरांत ही ऊर्जा–शक्ति सम्बन्धी घटक की सहमति के0वि0आ0 द्वारा दिया जाएगा। तद्नुसार के0वि0आ0 ने परियोजना सम्बन्धी अर्न्तराष्ट्रीय मसलों को सुलझाने के पश्चात् डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ डी0पी0आर0 कम्पनी को लौटा दिया।

- कम्पनी ने तद्नुसार कथित परियोजना की अनुमति हेतु मुद्दा को ज0सं0म0, भारत सरकार से दिसम्बर 2010 में उठाया। ज0सं0मं0 ने नेपाल सीमावर्ती इलाकों के जलमग्न नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से न्यूनतम आठ किलोमीटर की दूरी पर असैन्य ढाँचों के निर्माण को सुनिश्चित करना अथवा नेपाल सरकार से अनुमोदन के उपरांत ही मौजूदा रूप में प्रस्तावित परियोजना के नियोजन हेतु कम्पनी को परामर्श दिया (दिसम्बर 2010)।

- कम्पनी ने प्रस्तावित परियोजना को पुनः 7.5 किलोमीटर स्थानांतरित करने हेतु निर्णय लिया (जुलाई 2011)। तद्नुसार कम्पनी ने पुनरीक्षित स्थल पर प्रस्तावित परियोजना के डी0पी0आर0 के निर्माण हेतु कम्पनी ने वैपकोस को ₹ 1.50 करोड़ की लागत पर अतिरिक्त कार्यादेश प्रदान किया (सितम्बर 2011)। अतिरिक्त कार्यादेश के कार्य–क्षेत्र में स्थलाकृतिक अध्ययन, भूतलीय निरीक्षणों, पर्यावरणीय अध्ययन, रूप–रेखा, आरेखण एवं प्राक्कलन में परिवर्तन तथा डी0पी0आर0 की तैयारी हेतु कार्य शामिल था। इसके फलस्वरूप मूल स्थल पर प्रस्तावित परियोजना हेतु स्थलाकृतिक अध्ययन, भूतलीय निरीक्षणों/पर्यावरणीय मुद्दों इत्यादि के मद में, जिस पर पहली डी0पी0आर0 के अनुसार कार्य निष्पादित किया जा चुका था, के मद में ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने जवाब में कहा (जून 2013) कि चूँकि डगमारा परियोजना एक ऊर्जा–शक्ति परियोजना था, तथापि इसका अनुमोदन केवल के0वि0आ0 द्वारा ही होना था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने यह भी कहा कि नेपाली इलाकों के जलमग्न होने सम्बन्धी मुद्दा मूल स्थल पर डी0पी0आर0 की तैयारी के उपरांत ही कम्पनी की जानकारी में आया। कम्पनी का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं चूँकि डगमारा परियोजना एक बहुप्रयोजन परियोजना था तथा वैपकोस को डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कार्यादेश (सितम्बर 2007) प्रदान करने से पहले ही नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से कथित परियोजना से सम्बन्धित अर्न्तराष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी (जुलाई 2007) कम्पनी को थी।

अतः डगमारा जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित अर्न्तराष्ट्रीय मुद्दों के सत्यापन में कम्पनी की विफलता एवं केन्द्रीय जल आयोग की मार्गदर्शिका के उल्लंघन में डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कम्पनी द्वारा कार्यादेश प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

4.9 निरर्थक व्यय

डोभा जल विद्युत परियोजना के मामले में कम्पनी द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप ₹ 0.31 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर नाबार्ड ऋण के अग्रेतर किस्तों का अनियमित आहरण हुआ।

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने पश्चिमी चम्पारण जिला में तिरहुत मुख्य नहर पर ₹ 8.73 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक 2×1000 के0डब्ल्यू0 ढोबा लघु जल विद्युत परियोजना (ल0ज0वि0प0) का निर्माण करने का निर्णय लिया। चूँकि परियोजना स्थल, वन-भूमि के अन्तर्गत था एवं इसके हस्तानान्तरण की आवश्यकता वन संरक्षण अधिनियम (अधिनियम), 1980 के तहत थी, कथित अधिनियम के अन्तर्गत स्थल–स्थानांतरण हेतु एक प्रस्तावना मुख्य वन–संरक्षक सह नोडल अधिकारी, बिहार को भेजा (दिसम्बर 2008) गया। कथित ल0ज0वि0प0 की ₹ 8.90 करोड़ अद्यतन लागत प्राक्कलन आधार पर, नाबार्ड ने ₹ 8.46 करोड़ का एक ऋण[32] संस्वीकृत (मार्च 2008) किया एवं शेष राशि (₹ 44 लाख) का वित्तपोषण बिहार सरकार द्वारा होना था। कथित ल0ज0वि0प0 के पूर्ण होने की नियत तिथि 31 मार्च 2010 थी। परियोजना पर की गई अनुवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कम्पनी को बिहार सरकार के माध्यम से प्रमाणित व्यय–विवरणी के साथ आहरण आवेदन नाबार्ड को प्रस्तुत करना था।

अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013) से उद्घाटित हुआ कि कथित परियोजना हेतु स्थल–उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना टर्न–की आधार पर डोभा ल0ज0वि0प0 की निर्माण हेतु एक निविदा आमंत्रित किया जिसमें केवल एक[33] व्यावसायिक फर्म ने निविदा प्रस्तुत किया। तथापि, उपर्युक्त चर्चित निविदा को परियोजना की समीक्षोपरांत प्रशासनिक व तकनीकी कारणों से रद्द (जून 2009) कर दिया गया। कम्पनी ने मे0 गंडक कन्सट्रक्शन प्राईवेट कम्पनी लिमिटेड, जिसमे निविदा रद्द होने के उपरांत अपना निविदा–दर समर्पित किया था, को परियोजना से सम्बन्धित असैनिक कार्य का कार्यादेश (अप्रैल 2010) प्रदान किया। इसके अतिरिक्त बिना निविदा आमंत्रित किए व अतिरिक्त निधि[34] का स्त्रोत ज्ञात किए उत्पादन करने वाले मुख्य उपकरणों से सम्बन्धित कार्य (निर्माण, जाँच एवं संस्थापन तथा संचालन एवं संधारण कार्य सहित) हेतु मे0 व्यास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड को ₹ 6.65 करोड़ की लागत पर एक अभिप्राय पत्र प्रदान किया गया। कथित परियोजना के मद में कम्पनी द्वारा 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान किया गया वास्तविक व्यय ₹ 0.31 करोड़[35] था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि:

- वन विभाग ने जुलाई 2011 में कम्पनी को ₹ 3.92[36] करोड़ की क्षति राशि के साथ आठ हेक्टर जमीन अनिवार्य वनरोपण हेतु उपलब्ध कराने अथवा कथित ल0ज0वि0प0 की तकनीकी–व्यवहार्यता का पुर्नरीक्षण करने को कहा।

---

[32] नाबार्ड ऋण पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतेय था तथा ऋण भुगतान की विफलता की स्थिति में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।

[33] मे0 नॉरटेक पावर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता।

[34] यथा असैन्य कार्य की लागत (₹ 8.11 करोड़) + उत्पादन करने वाले मुख्य उपकरणों से सम्बन्धी कार्य की लागत (₹ 6.65 करोड़) - ल0ज0वि0प0 की संस्वीकृत लागत (₹ 8.90 करोड़) = ₹ 5.86 करोड़।

[35] ₹ 14.86 लाख की कार्यप्रवृत्त अग्रिम राशि सहित।

[36] प्रति हेक्टर ₹ 98.10 लाख की दर से।

- स्थल–प्राप्ति हेतु वन–विभाग को भुगतान की जाने वाली भारी क्षति के आलोक में कम्पनी ने विलम्ब से दिसम्बर 2012 में परियोजना बन्द करने का निर्णय लिया और तद्नुसार संवेदक को कार्य रोक देने का आदेश दिया।

- आवश्यक स्थल की अनुपलब्धता एवं बिना प्रारूप एवं आरेखण तैयार किए, कम्पनी ने मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र नाबार्ड को प्रस्तुत कर ऋण की कुल ₹ 5.95 करोड़ की अग्रेतर किस्तें प्राप्त की।

डोभा ल0ज0वि0प0 के बन्द होने के फलस्वरूप, कम्पनी द्वारा ₹ 0.31 करोड़ का किया गया व्यय निरर्थक हो गया।

प्रबन्धन ने डोभा परियोजना में ऋण की अग्रेतर किस्तों की प्राप्ति अनियमितता को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2013) कि डोभा परियोजना में वास्तविक व्यय से अधिक निकासी की गई निधियों का उपयोग मथौली ल0ज0वि0प0, जो नाबार्ड की समरूप योजना के तहत संस्वीकृत हुआ था, के मद में कर लिया गया है। प्रबन्धन का जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है, चूँकि मथौली ल0ज0वि0प0 में किया गया व्यय ₹ 4.73 करोड़ के अन्य ऋण से था न कि डोभा ल0ज0वि0प0 के मद में आहरण किए गए निधियों से।

अतः डोभा ल0ज0वि0प0 में कम्पनी द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप ₹ 0.31 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर नाबार्ड ऋण के अग्रेतर किस्तों का अनियमित आहरण हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013), जवाब प्रतीक्षित था।

4.10 समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप ऊर्जा–शक्ति उत्पादन हानि

बिना समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली, लघु जल विद्युत परियोजना में त्रुटिपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप ₹ 8.93 करोड़ की 35.88 एम0यू0 ऊर्जा–शक्ति उत्पादन हानि।

ऊर्जा–शक्ति के उत्पादन हेतु एक अनुज्ञप्तिधारी बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड अपनी जल विद्युत ऊर्जा–शक्ति परियोजनाओं से उत्पादन की गई ऊर्जा–शक्ति का विक्रय बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड[37] (बी0एस0पी0एच0सी0एल0) को बी0एस0पी0एच0सी0एल0 की प्रणाली की अधिप्राप्ति इकाई[38] में ऊर्जा–शक्ति का परित्याग कर करती है। बिना किसी व्यवधान के ऊर्जा–शक्ति के परित्याग हेतु उत्पादन स्टेशन के पावर हाउस को विद्युत लाईन से या तो एक 33/11 के0भी0 पावर सब–स्टेशन (पी0एस0एस0) अथवा एक 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन (जी0एस0एस0) से जोड़ा जाता है। सब–स्टेशन पर ऊर्जा–शक्ति का परित्याग तभी संभव है जब जी0एस0एस0 अथवा पी0एस0एस0 ऊर्जान्वित अवस्था में है अन्यथा कम्पनी द्वारा उत्पादन की गई ऊर्जा–शक्ति का परित्याग नहीं हो सकता है जिसके कारण कम्पनी के पावर हाउस में उत्पादन को बंद करना पड़ जाता है चूँकि आधिक्य ऊर्जा–शक्ति का भण्डारण नहीं किया जा सकता है। चूँकि ग्रिड सब–स्टेशन के अंतर्गत वृहत् क्षेत्र आता है, ग्रिड सब स्टेशनें सदैव ऊर्जान्वित रहती हैं जबकि पी0एस0एस0 ग्रिड प्रणाली में ऊर्जा–शक्ति की उपलब्धता एवं/अथवा बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के क्षेत्र–वार वितरण प्राथमिकता के आधार पर ऊर्जान्वित अवस्था में रहती है। अतः ऊर्जा–शक्ति के उत्पादन एवं विक्रय हेतु इसके परित्याग का संधारण करने हेतु जी0एस0एस0/पी0एस0एस0 के निरन्तर ऊर्जान्वित अवस्था में रहने को सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी को एक समुचित प्रणाली विकसित करना नितांत आवश्यक हो जाता है।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013) से उद्घाटित हुआ कि:

- कम्पनी ने 2006–07 से 2009–10 की अवधि में आठ[39] लघु जल विद्युत परियोजनाओं (ल0ज0वि0प0) का निर्माण किया। इन ल0ज0वि0प0 के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) उत्पादन की गई ऊर्जा–शक्ति का परित्याग बी0एस0पी0एच0सी0एल0 की विभिन्न जी0एस0एस0 पर होना था। तथापि ल0ज0वि0प0, बी0एस0पी0एच0सी0एल0 की सब–स्टेशनों के साथ जोड़े गए थे जो वास्तव में जी0एस0एस0 न होकर पी0एस0एस0 थे। उपरोक्त ल0ज0वि0प0 के ऊर्जा–शक्ति गृहों का बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के निकटतम जी0एस0एस0 से जोड़ यथा इन ल0ज0वि0प0 के डी0पी0आर0 में परिकल्पित, नहीं किया गया जिससे निर्बाध ऊर्जा–शक्ति का उत्पादन व परित्याग सुनिश्चित हो सके।

- वर्ष 2011–12 से 2012–13 की अवधि में बि0एस0पी0एच0सी0एल0 के पी0एस0एस0 निरन्तर अवरुद्धन के कारण 29733[40] घंटों तक ऊर्जान्वित अवस्था में नहीं था। परिणामस्वरूप उक्त अवधि में उपर्युक्त ल0ज0वि0प0 में

[37] कालांतर में यह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के नाम से जाना जाता था।

[38] पावर सब–स्टेशन (पी0एस0एस0) एवं ग्रिड सब–स्टेशन।

[39] जय नगर, शिरखिण्डा, सेबारी, ढेलाबाग, नासरीगंज, अग्नूर, अरवल एवं बेलसर।

[40] 2011–12 (10466 घंटे) एवं 2012–13 (19267 घंटे)।

कम्पनी को उत्पादन बंद करना पड़ा। इस प्रकार कम्पनी ₹ 8.93[41] लाख के मूल्य वाले 35.88 एम0यू0 ऊर्जा–शक्ति का उत्पादन नहीं कर सकी।

अतः समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली के अभाव में कम्पनी को ₹ 8.93 करोड़ मूल्य के 35.88 एम0यू0 की ऊर्जा–शक्ति उत्पादन हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2013) कि ऊर्जा–शक्ति प्रणाली की निम्न अवस्था के कारण पी0एस0एस0 में ऊर्जा शक्ति की उपलब्धता निरन्तर नहीं थी और इस कारण कम्पनी को उत्पादन हानि हुई। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने यह भी कहा कि दो से तीन उत्पादन स्टेशनों के ऊर्जा–शक्ति को संग्रह कर परित्याग प्रणाली की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी ने अपने परामर्शी[42] से डी0पी0आर0 तैयार कराया है जो कि राज्य योजना के अंतर्गत संस्वीकृत था।

अतः तथ्य यही है कि ऊर्जा–शक्ति के संभाव्य उत्पादन हानि को टालने हेतु ल0ज0वि0प0 के निर्माण से पूर्व ही समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु समुचित ऊर्जा–शक्ति परित्याग प्रणाली के नियोजन में कम्पनी विफल रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2013); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (प्राइवेट) लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड

4.11 ब्याज का परिहार्य भुगतान

कर–दायित्व के समुचित निर्धारण हेतु समुचित प्रणाली विकसित करने में कम्पनियों की विफलता के कारण अग्रिम आयकर का भुगतान नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 207 अन्य बातों के साथ–साथ यह भी निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक करदाता को जिसका कर दायित्व ₹ 10,000 या अधिक है, अधिनियम में निहित तरीके एवं दर के अनुसार अग्रिम आयकर का भुगतान करना होगा। कर के न्यूनतम 90 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान में विफलता अथवा निहित दरों पर कर जमा करने में कमी होने पर अधिनियम की धारा 234 बी एवं 234 सी के अनुसार अलग से प्रतिमाह एक प्रतिशत के दर से ब्याज भुगतेय होगा। ब्याज भुगतान की स्थिति को टालने हेतु अधिनियमानुसार अग्रिम कर के ससमय जमा करने हेतु प्रबन्धन को कर योग्य आय की समुचित प्राक्कलन की आवश्यकता है।

हमलोगों ने तीन कम्पनियों यथा बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (प्राईवेट) लिमिटेड (बि0पु0भ0नि0नि0लि0) एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (बि0रा0बि0नि0लि0) में कर दायित्व के निर्धारण एवं अग्रिम कर के भुगतान के प्रणाली की जाँच किया जिनमें पाए गए त्रुटियों का उल्लेख निम्नवत् है:

[41] जय नगर (4.83 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 1.20 करोड़ था), शिरखिण्डा (4.67 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 1.16 करोड़ था), रोबारी (3.92 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 0.98 करोड़ था), ढ़ेलाबाग (8.25 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 2.05 करोड़ था), नासरीगंज (4.10 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 1.02 करोड़ था), अग्नूर (5.25 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 1.31 करोड़ था), अरवल (1.88 एम0यू0 जिसका मूल्य ₹ 0.47 करोड़ था) और बेलसर (2.98 एम0यू0 जिसका मूल्य 0.74 करोड़ था)।

[42] अल्टरनेट हाईड्रो एनर्जी सेन्टर (ए0एच0ई0सी0); रुड़की।

- बेलट्रॉन वित्तीय वर्षों 2009–10 एवं 2011–12 हेतु आयकर प्राधिकारों के समक्ष अग्रिम जमा करने में विफल रहा। वित्तीय वर्षों 2009–10 एवं 2011–12 हेतु बेलट्रॉन की आय स्रोत पर कटौती की गई कर राशि क्रमशः ₹ 2.59 करोड़ एवं ₹ 1.88 करोड़ था जिसे आयकर प्राधिकारों के पास जमा किया गया था तथापि वित्तीय वर्षों 2009–10 एवं 2011–12 हेतु बेलट्रॉन का कुल कर दायित्व क्रमशः ₹ 2.59 करोड़ एवं ₹ 5.29 करोड़ था। चूँकि भुगतान किए गए कर की कुल राशि भुगतेय कर की राशि के 90 प्रतिशत से कम था, बेलट्रॉन को वित्तीय वर्षों 2009–10 एवं 2011–12 हेतु क्रमशः ₹ 14.39 लाख तथा ₹ 38.18 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अग्रिम कर एवं टी0डी0एस0 के मद में बेलट्रॉन ने क्रमशः ₹ 0.75 करोड़ एवं ₹ 1.49 करोड़ की राशि का भुगतान किया जो कि भुगतेय कर वित्तीय वर्ष 2010–11 के कुल कर दायित्व यथा ₹ 4.52 करोड़ के 90 प्रतिशत से कम था। अतः बेलट्रॉन को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ₹ 28.23 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

- बि0पु0भ0नि0लि0 वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 हेतु आयकर प्राधिकारों के समक्ष अग्रिम कर के भुगतान में विफल रहा। वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 हेतु बि0पु0भ0नि0लि0 की आय स्रोत पर कटौती की गई कर राशि क्रमशः ₹ 0.96 करोड़ एवं ₹ 0.77 करोड़ था जिसे आय कर प्राधिकारों के पास जमा कर दिया गया था। वित्तीय वर्षो 2009–10 एवं 2011–12 हेतु बि0पु0भ0नि0लि0 का कुल कर दायित्व क्रमशः ₹ 2.92 करोड़ एवं ₹ 1.59 करोड़ था। चूँकि भुगतान किया गया कर कुल भुगतेय कर की राशि से 90 प्रतिशत से कम था, बि0पु0भ0नि0लि0 को वित्तीय वर्षो 2009–10 एवं 2011–12 हेतु क्रमशः ₹ 22.65 लाख एवं ₹ 7.89 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु बि0पु0भ0नि0लि0 ने अग्रिम कर के मद में ₹ 1.36 करोड़ की राशि का भुगतान किया जो वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल भुगतेय कर के 90 प्रतिशत से कम था। अतः बि0पु0भ0नि0लि0 को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ₹ 5.73 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

- ठीक उसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 हेतु बि0रा0बि0नि0लि0 का कुल कर–दायित्व क्रमशः ₹ 2.82 करोड़, ₹ 6.39 करोड़ एवं ₹ 7.40 करोड़ था। चूँकि इन वित्तीय वर्षो में कुल भुगतान किया गया कर (यथा अग्रिम कर एवं टी0डी0एस0) इन वित्तीय वर्षो के कुल भुगतेय कर के 90 प्रतिशत से कम था, बि0रा0बि0नि0लि0 को वित्तीय वर्षो 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 हेतु क्रमशः ₹ 13.39 लाख, ₹ 13.72 लाख एवं ₹ 19.74 लाख के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

अतः समुचित कर–दायित्व के निर्धारण हेतु समुचित प्रणाली विकसित करने में उपर्युक्त चर्चित कम्पनियों की विफलता के फलस्वरूप इन कम्पनियों को ₹ 1.64[43] करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

---

[43] अर्थात् बेल्ट्रॉन– ₹ 14.37 लाख (2009–10) + ₹ 28.23 लाख (2010–11) + ₹ 38.18 लाख (2011–12) = ₹ 80.78 लाख।

बि0पु0भ0नि0नि0 –₹ 22.65 लाख (2009–10) + ₹ 5.73 लाख (2010–11) + ₹ 7.89 लाख (2011–12) = ₹ 36.27 लाख।

बि0रा0बि0नि0लि0– ₹ 13.29 लाख (2009–10) + ₹ 13.72 लाख (2010–11) + ₹ 19.74 लाख (2011–12) = ₹ 46.85 लाख।

बेलट्रॉन प्रबन्धन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकारते हुए कहा (जुलाई 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य में अनुपालन हेतु चिह्नित कर लिया गया है।

सरकार/बि0पु0भ0नि0लि0 प्रबन्धन ने तथ्य एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि कर योग्य आय के प्राक्कलन हेतु विक्रय, राजस्व एवं अन्य प्राचलिकों से सम्बन्धित सूचनाओं के ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी अपनी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबूत कर रही है।

बि0रा0बि0नि0लि0 प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2013) कि वार्षिक आय की प्राक्कलन हेतु कम्पनी द्वारा अपनायी गई प्रणाली, आकलन तैयार करते समय, विद्यमान आधारों एवं मान्यताओं पर आधारित होता है एवं भविष्य की संभाव्य आय की प्राक्कलन हेतु सर्वोत्तम अनुमान है। इसके साथ ही कुछ व्यय जैसे प्रिवीलेज फीस, मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान जो वित्तीय वर्ष के अंत में घटित होते हैं, लेखांकन वर्ष के अन्त में घटित होने वाले विक्रय में एकाएक बढ़ोतरी इत्यादि के कारण आय का अनुमान केवल अनिश्चित तरीके से ही हो सकता है एवं इसी कारण अनुमानित आय एवं निर्धारित आय में अन्तर होना स्वाभाविक है जिसके फलस्वरूप धारा 234बी एवं 234सी के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है चूँकि कर–योग्य आय की गणना हेतु विक्रय, राजस्व एवं अन्य मानकों के सटीक प्रक्षेपण/प्राक्कलन तैयार करने हेतु एक प्रणाली विकसित कर व्यवसाय की सामान्य कार्यवाहियों में घटित होने वाले व्यय का प्राक्कलन यथोचित तरीके से किया जा सकता है।

अतः विक्रय के निर्धारण में कम्पनियों द्वारा विफलता कर–योग्य आय के निर्धारण एवं अन्य प्रक्षेपणों के तय करने हेतु कम्पनियों में विद्यमान निम्न आन्तरिक नियंत्रण–प्रणाली को इंगित करती है।

कर भुगतेय आय एवं अन्य प्रक्षेपणों के निर्धारण हेतु विक्रय, राजस्व एवं अन्य प्राचलिकों से संबंधित सूचनाओं की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सूचना प्रौद्योगिकी एवं निबन्धन, उत्पाद एवं निषेध विभाग) (मई एवं अगस्त 2013), जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

सामान्य

4.12 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये एवं मौके पर नहीं निपटाये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) के माध्यम से संवादित किया जाता है। सा0क्षे0उ0 के प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से नि0प्र0 का उत्तर चार सप्ताह के अन्दर देना होता है। मार्च 2013 तक 24 सा0क्षे0उ0 को निर्गत नि0प्र0 से यह स्पष्ट होता है कि 658 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बद्ध 1480 कंडिकाएँ सितम्बर 2013 तक लम्बित थीं। ये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ एक से सात वर्षों तक अनुत्तरित थीं। 30 सितम्बर 2013 तक लम्बित नि0प्र0 एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभाग-वार ब्योरा ***परिशिष्ट–9*** में दिया गया है।

उसी प्रकार सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तथ्यों एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि में उनकी टिप्पणी के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्ध–सरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गए । अपितु यह पाया गया कि मई से सितम्बर 2013 की अवधि में विभिन्न विभागों को अग्रसारित दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं 11 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर ***परिशिष्ट–10*** में दिए विवरण के अनुरूप प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2013)।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तर देने में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया विद्यमान हो, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिमों/अधिभुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही हो, और (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो।

पटना — **पी0 के0 सिंह**

दिनांकः — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांकः — **भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक**